

न्यायालय— सिराज अली, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.कं.—150 / 2014

संस्थित दिनांक—26.02.2014

फाईलिंग क.234503001702014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—परसवाड़ा,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

राखीराम पिता धनसिंह भलावी, उम्र—25 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी—ग्राम कुरेण्डा, थाना परसवाड़ा,  
जिला—बालाघाट(म.प्र.)

----- आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—21 / 09 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी राखीराम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 / 511 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—12.02.2014 को रात्रि 8:30 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम कुरेण्डा में फरियादी दिवलाबाई के घर में सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन कर, चोरी करने के आशय से फरियादी दिवलाबाई के घर में घुसकर चोरी करने का प्रयत्न किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—12.02.2014 को फरियादी दिवलाबाई खाना खाकर सो गई थी कि रात्रि करीब 8:30 बजे एक व्यक्ति उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और उसके गले को पकड़ लिया था, तब उसने टॉर्च जलाई और चिल्लाई तो गांव के राजकुमार तथा किसनलाल आए और उन्होंने उसे पकड़ लिया, तो वह व्यक्ति गांव का राखीराम था, जो उसके घर के दरवाजे को तोड़कर चोरी करने की नियत से घुसा था। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी दिवलाबाई द्वारा घटना के दूसरे दिन दिनांक—13.02.2014 को पुलिस थाना परसवाड़ा में की गई, जिस पर पुलिस थाना परसवाड़ा द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी राखीराम

के विरुद्ध अपराध क्रमांक-27/14 अंतर्गत धारा 457, 380, 511 भा.दं.सं. पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये तथा आरोपी राखीराम को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपी राखीराम के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी राखीराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380/511 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी का अभियुक्त परीक्षण धारा-313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर उसने अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपी दिनांक-12.02.2014 को रात्रि 8:30 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम कुरेण्डा में फरियादी दिवलाबाई के घर में सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर चोरी करने के आशय से फरियादी दिवलाबाई के घर में घुसकर चोरी करने का प्रयत्न किया ?

#### विचारणीय बिन्दु क.-1 व 2 पर सकारण निष्कर्ष

5- फरियादी दिवलाबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह न्यायालय में हाजिर आरोपी को जानती है। घटना आज से लगभग एक वर्ष पुरानी रात के लगभग 10:00 बजे की है। घटना के समय वह अपने घर में दरवाजा लगाकर सोई हुई थी, तभी घर में कोई व्यक्ति घुसा था, जिसे वह देख नहीं पाई थी। उसके चिल्लाने पर वह व्यक्ति भाग गया था। घटना की रिपोर्ट उसने थाना परसवाड़ा में लिखाई थी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा बनाया था और पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी घटना दिनांक को उसके घर में दरवाजा तोड़कर रात के समय चोरी करने की नियत से घुसा था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसके चिल्लाने पर गांव के राजकुमार और किरनलाल ने आरोपी को पकड़ा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने उसके द्वारा लिखाई गई

रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-2 में आरोपी के द्वारा उसके घर में चोरी करने की नियत से घुसने वाली बात बताई थी। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा आरोपित अपराध किये जाने के संबंध में अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है।

6— राजकुमार (अ.सा.2), किरनलाल (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय रात में फरियादी दिवलाबाई के चिल्लाने पर वे लोग उसके घर गये थे, तो वहां पर कोई नहीं मिला था। साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय दिवलाबाई के चिल्लाने पर जब वे लोग गए तो वहां पर आरोपी शराब के नशे में मिला था और वह चोरी करने की नियत से दिवलाबाई के घर में दरवाजा तोड़कर घुसा था। साक्षीगण ने उनके पुलिस कथन प्रदर्श पी-2 एवं प्रदर्श पी-3 से भी इंकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण ने अभियोजन पक्ष का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

7— अनुसंधानकर्ता अधिकारी जी.एल. वाघाड़े (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-13.02.2014 को थाना परसवाड़ा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा अपराध क्रमांक-21/14, धारा-457, 380, 511 भा.द. वि. के अंतर्गत सूचनाकर्ता दिवलाबाई की मौखिक सूचना पर आरोपी राखीराम पिता धनसिंह गोंड, साकिन कुरेण्डा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही दिवलाबाई की निशानदेही पर मौके पर जाकर मौकानक्शा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी राखीराम को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही फरियादी दिवलाबाई, साक्षी राजकुमार, किरनलाल के कथन उसके द्वारा लिये गए थे। उक्त अपराध क्रमांक में सहायक उपनिरीक्षक तीरथप्रसाद चौबे के द्वारा साक्षी लताबाई और शंकरलाल के कथन दिनांक-24.02.2014 को विवेचना के दौरान लिये गए थे, जो चालान में संलग्न है। सहायक उपनिरीक्षक तीरथप्रसाद चौबे के साथ काम करने के कारण वह उनके हस्ताक्षर से परिचित है।

8— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने मामलों में की गई संपूर्ण अनुसंधान

कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। यद्यपि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत फरियादी एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण के द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियोजन का समर्थन न करने से उक्त अनुसंधानकर्ता अधिकारी की समर्थनकारी साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता है।

9— प्रकरण में किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि उसने आरोपी को घटना के समय फरियादी के घर में रात्रि के समय अवैध रूप से प्रवेश करते हुए देखा या चोरी का प्रयास करने के आशय से फरियादी के घर में घुसने का प्रयास किया। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव होने और घटना के समय फरियादी के घर में अवैध प्रवेश करने वाले व्यक्ति के रूप में आरोपी की पहचान भी किसी साक्षी के द्वारा न किये जाने से यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि आरोपी के ही द्वारा अवैध रूप से रात्रि के समय फरियादी के घर में प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कर चोरी करने का प्रयत्न किया गया था।

10— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी राखीराम ने दिनांक-12.02.2014 को रात्रि 8:30 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम कुरेण्डा में फरियादी दिवलाबाई के घर में सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन कर, चोरी करने के आशय से फरियादी दिवलाबाई के घर में घुसकर चोरी करने का प्रयत्न किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380/511 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

11— आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12— आरोपी राखीराम न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)